न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 39/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/111

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री विक्रम सिंह/ बाबूसिंह राजपुत प्रोपराईटर श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड, परतापुर, जिला बॉसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 29–11–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 07.10.2024 की पालना में दिनांक 24.10.2024 को श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड, परतापुर, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) की आकस्मिक जांच श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड, परतापुर पर फर्म के प्रोपराईटर श्री विक्रम सिंह/ बाबूसिंह राजपुत उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर मिठाई बनाना पाया गया एवं 3 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	0333 E	25.500	16.000	8.500
2	भारत गैस	326321 B	24.000	15.200	8.800
3	भारत गैस	055363 B	22.500	15.700	6.800
4	भारत गैस	102934 T	15.400	15.400	0.000

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

श्री विक्रम सिंह/ बाबूसिंह राजपुत द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 04 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा जब्त किए जाकर वैष्णवी गैस एजेन्सी, परतापुर के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहम्मद एजाज/ शेर मोहम्मद को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 29.11.2024 को अप्रार्थी का जवाब प्रस्तुत हुआ अप्रार्थी ने जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय बांसवाडा में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है जो निराधार है। अप्रार्थी किसी भी प्रकार का घरेलु गैस सिलेण्डरो का व्यवसाय उपयोग नही कर रहा था न ही भण्डारण किया गया है। उक्त गैस सिलेण्डरो को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। उक्त जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नही है न ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। अप्रार्थी ने उक्त जवाब के साथ ही बहस प्रस्तुत की। बहस में भी उक्त बिन्दुओं को दौहराते हुए जब्तशुदा गैस सिलेण्डरो को राजसात करने निवेदन किया।

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि दिनांक 24.10.2024 को श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड, परतापुर, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) की आकस्मिक जांच श्री मणि खींची प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा किया की गई। जांच के दौरान श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड, परतापुर पर फर्म के प्रोपराईटर श्री विक्रम सिंह/ बाबूसिंह राजपुत उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलु सिलेण्डर का उपयोग कर मिठाई बनाना पाया गया एवं 3 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री विक्रम सिंह/ बाबूसिंह राजपुत द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:59:11 IST
Reason: SelfAttested

गैस सिलेण्डरो के भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 04 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा जब्त किए जाकर वैष्णवी गैस एजेन्सी, परतापुर के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहम्मद एजाज/ शेर मोहम्मद को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 04 घरेलु गैस सिलेण्डर मय रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार 04 घरेलु गैस सिलेण्डर श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मेन रोड, परतापुर, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) व्यवसायिक संस्थान पर उपयोग करते हुए पाये गए है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 04 घरेलु गैस सिलेण्डर उसके साथ प्रयोग में लिये जा रहे रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर एवं उसके साथ प्रयोग में लिये जा रहे रबर ट्यूब, रेग्युलेटर एवं सिंगल गैस भट्टी गैस चुल्हा का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 29–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:39:11 IST
Reason: SelfAttested